उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या- 3/2017/आडिट-1-622/दस-2017-315(1)/15

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2017

विज्ञप्ति

श्री राज्यपाल महोदय श्री केदार नाथ पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ (मुख्यालय) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/-) में पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ (मुख्यालय) में रिक्त संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

2- सम्बन्धित अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त सम्बन्धित अधिकारी को संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 01 वर्ष को विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3/2017/आडिट-1-622(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बन्धित संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुमुदलता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।